औद्योगिक विकास

संख्या–3738 / 9–आ–3–1998–109 वि / 98

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–3 लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 1998

विषय : औद्योगिक भूखण्डों हेतु भू–आच्छदन एवं तल क्षेत्रफल अनुपात (एफ.ए.आर.) का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास प्राधिकरणों की वर्तमान भवन निर्माण उपविधियों के अनुसार विभिन्न क्षेत्रफल के औद्योगिक भूखण्डों हेतु अनुमन्य अधिकतम एफ.ए.आर. देश क`ओद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील कतपय राज्यों की तुलना में लगभग आधा है इस सम्बन्ध में कई उद्यमियों द्वारा उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा उद्योग बन्धु के माध्यम से शासन के समक्ष यह समस्या प्रस्तुत की गई कि उत्तर प्रदेश में एफ.ए.आर. कम होने के कारण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अथवा उनमें संवर्धन / विस्तार हेतु अपेक्षाकृत अधिक भूमि क्रय करने की आवश्यकता पड़ती है जिसके फलस्वरूप इकाई की लागत बढ़ जाती है अतः उद्यमियों द्वारा यह माँग की जा रही है कि एफ.ए.आर. की वर्तमान सीमा को बढ़ाया जाए।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रदेश में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन देन तथा औद्योगिक भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि औद्यागिक भूखण्डों हेतु वर्तमान में अनुमन्य एफ.ए.आर. को देश के अनय प्रगतिशील राज्यों के समान आकर्षक बनाया जाए।

(3) अतः उ0प्र0 (नगर योजना एवं विकास) अधिनियम, 1973 की धारा–41 के उपधारा (1) में प्रदत्त अधिकारों के अधीन श्री राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि औद्योगिक भूखण्डों हेतु अधिकतम भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के प्राविधान निम्नानुसार रखे जायेंगेः–

क्रमांक	भूखण्ड का आकार (वर्ग मीटर)	अधिकतम भू–आच्छादन प्रतिशत	अधिकतम एफ.ए.आर.
1.	100 तक	60	120
2.	101–450	60	100
3.	451–2000	55	80
4.	2001–12000	55	70
5.	12,001–20,000	50	65
6.	20,000 से अधिक	50	60

(4) कृपया उपरोक्त आदेशों का अनुपालन तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या–3738(1) / 9–आ–3–1997 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास,उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
(2). अधिशाषी निदेशक, उद्योग बन्धु उ0प्र0।
(3). प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, लखनऊ।
(4) समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष, उ0प्र0।
(5) आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
(6) समस्त विनियमित क्षेत्रों के नियन्त्रक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(8) अपर निदेशक, नियोजन आवास बन्धु।

आज्ञा से,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव